न्यायालयः– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **अजय कुमार पूनिया, आर.जे.एस.**

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या–CIS No. 65/2021
CNR N.–RJSK100000832021

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 31/2020 पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर

राजस्थान राज्य

बनाम

इरफान पुत्र हैदर अली उम्र 38 वर्ष निवासी फातिमा हाउस, विवेकानन्द स्कूल के पीछे, छावनी थाना गुमानपुरा, कोटा, जिला कोटा (राज०)

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति:–

1. विद्वान अभियोजक अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री पंकज शर्मा विद्वान अधिवक्ता–वास्ते अभियुक्त।
3. श्री दिनेश शर्मा विद्वान् अधिवक्ता– वास्ते परिवादिया।

निर्णय **दिनांक– 10.03.2026**

1– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	23.10.2020
आरोप सुनाये जाने की तिथि	19.01.2021
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	19.03.2021
बयान मुलजिम लिये जाने की तिथि	23.02.2026
बहस अंतिम सुनी जाने की तिथि	10.03.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026

2– अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूचि–

(क) अभियोजन–

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी हो)

पी.डब्ल्यू 01	सदफ गौरी	परिवादिया
पी.डब्ल्यू 02	मोहम्मद आरिफ	ताईद पुलिस बयान
पी.डब्ल्यू 03	शौकत अली	ताईद पुलिस बयान
पी.डब्ल्यू 04	श्री उदयसिंह	जाँच अधिकारी

3– अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची (मुताबिक बयान गवाह)–

(ख) अभियोजन–

क्र.सं.	दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	परिवाद	पी 01
2	एस.पी. को दी गई रिपोर्ट	पी 02
3	फर्द जब्ती व सुपुर्दगी सामान	पी 03
4	पुलिस बयान शौकत अली	पी 04
5	चाक एफआईआर	पी 05

4– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीया सदफ गौरी ने जरिये परिवाद प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर पर एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उसका निकाह अभियुक्त संख्या 1 इरफान के साथ दिनांक 28.04.2017 को परिवादिया के पिता घर सम्पन्न हुआ था। निकाह में परिवादिया के माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार घरेलू सामान दिया था, जिसे व परिवादिया को लेकर अभियुक्तगण फतेहपुर से कोटा चले गए। निकाह के कुछ समय बाद से ही अभियुक्तगण का परिवादिया के प्रति व्यवहार सही नहीं रहा तथा आये दिन किसी न किसी चीज व सामान की मांग को लेकर परिवादिया से लड़ाई झगड़ा करने लग गये। परिवादिया का पति परिवादिया से अनावश्यक पैसों की माँग करता तथा उसके साथ पट्टों से बूरी तरह मारपीट करता। मौका मिलने पर परिवादिया अपने माता पिता को उक्त सारी बातें बताती। दिनांक 15.04.2018 को परिवादिया के एक पुत्र जुनैद का जन्म हुआ। छुछक में भी दहेज की माँग की पूर्ति हेतु परिवादिया को तंग परेशान किया। दिनांक 12 अगस्त, 2019 को समस्त अभियुक्तगणों ने एक राय होकर परिवादिया से लड़ाई झगड़ा व गाली गलोच की तथा इरफान ने परिवादिया को कमरे में ले जाकर बुरी तरह पट्टे से मारपीट की तथा उसके गले में पट्टा डालकर उसे घसीट कर जान से

मारने का प्रयास किया तो परिवादिया के द्वारा चिल्लाने पर पड़ौसियों के डर से उसे छोड़ा। परिवादिया से 80,000/– रूपये नगद व लेटेस्ट मॉडल की स्कूटी की मांग कर परिवादिया को तंग परेशान व मारपीट की तथा इसके पश्चात् से ही परिवादिया अपने पुत्र के साथ अपने माता पिता के घर रह रही है। कानूनी कार्यवाही की जावे। इत्यादि.....पर एफआईआर संख्या 31/2020 अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को आरोप प्रमाणित मान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5– बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

6– साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर परिवादिया सदफ गौरी ने धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में राजीनामा पेश कर अपराध का समन किया जा चुका है। अब प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध मात्र धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में विचारण शेष रहा।

7– अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिए गए तो उसने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इनकार किया तथा स्वयं का निर्दोष होने का कथन किया है।

8– न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

(1) क्या अभियुक्त ने परिवादिया का पति होते हुये उससे विवाह के पश्चात् से निरन्तर दहेज में 80,000/– रूपये नकदी रूपये व स्कूटी माँग को लेकर निरन्तर तंग–परेशान कर क्रूरता का व्यवहार किया ?

(2) यदि हां तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या हो?

<u>न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सूनी गई।</u>

9– दौराने बहस विद्वान विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फसाया गया है। परिवादिया की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, जिसकी जिरह के कथनों से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। अभियुक्त का परिवादिया के साथ राजीनामा हो चुका है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10– उक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

11– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

12– इस प्रकरण में अभियुक्त पर अभियोजन का यह आरोप रहा है कि अभियुक्त ने परिवादिया से विवाह के पश्चात् से ही 80,000/– रूपये नकद व स्कूटी की माँग कर परिवादिया को मारपीट करते हुये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

13– अभियोजन की ओर से इस सम्बन्ध में प्रकरण में कुल 4 गवाह परीक्षित हुये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 2 आरिफ परिवादिया का मामा है, जो जिरह में इस तथ्य को सही होना स्वीकार करता है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई और जो भी बातें दहेज के सम्बन्ध में बताई हैं वो परिवादिया के बताये अनुसार ही बताई हैं। अर्थात् इस गवाह के स्वयं के समक्ष अभियुक्त द्वारा परिवादिया से दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ना दिये जाने की कोई घटना नहीं हुई है और यह परिवादिया ने जो बातें इसे बताई है, इसी अनुसार न्यायालय में कथन करता है। गवाह पी.डब्ल्यू 3 शोकत अली न्यायालय में अभियोजन के पक्षद्रोही घोषित हुआ है और यह गवाह अपनी साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन नहीं करता है।

14– गवाह पी.डब्ल्यू 4 उदय सिंह इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी होकर इस प्रकरण का स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान के सम्बन्ध में क्रमवार साक्ष्य देता है और जिरह में इन तथ्यों को सही होना स्वीकार करता है कि परिवादिया ने अपने पति अभियुक्त के अलावा ससुराल के अन्य लोगों का नाम दबाव बनाने के लिये एफआईआर में लिखाया था तथा घटना के समय परिवादिया के पिता विदेश में थे, जो

परिवादिया के पास कोटा कभी नहीं गये। साथ ही आरोप पत्र में परिवादिया व अभियुक्त का आपस में निजी बातों को लेकर विवाद होना भी इस गवाह ने उल्लेखित करना माना है। साथ ही परिवादिया का विवाह भी परिवादिया के पिता की बजाय उसके मामा के घर में होना यह गवाह स्वीकार करता है।

15– इस प्रकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं परिवादिया पी.डब्ल्यू 1 सदफ है। इस गवाह की जिरह का अवलोकन करें तो यह गवाह 6 जनवरी, 2020 के पहले व उसके बाद स्वयं द्वारा अभियुक्त व ससुराल वालों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दिया जाना बताती है, जबकि परिवादिया के परिवाद प्रदर्श पी 1 का अवलोकन करें तो यह परिवादिया के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2020 को प्रस्तुत किया गया है। आगे जिरह में परिवादिया अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 के ए से बी भाग को गलत लिखा होना बताती है और अपने साथ हुई सारी घटनाएं कोटा में घटित होना बताती है। परिवादिया अपनी जिरह में अपने माता व पिता का 27–28 वर्ष पूर्व तलाक होकर अलग –अलग हो जाना स्वीकार करती है और अपने उक्त परिवाद के विपरीत अपना निकाह पिता के घर नहीं होना भी स्वीकार करती है। परिवाद प्रदर्श पी 1 में परिवादिया का अभियुक्त पर यह आरोप रहा है कि दिनांक 12.08.2019 को अभियुक्त ने कोटा में परिवादिया के साथ बूरी तरह मारपीट कर गले में पट्टा डालकर जान से मारने का प्रयास किया था तथा इस घटना के बाद परिवादिया को उसके पिता फतेहपुर लेकर आये थे, परन्तु इन महत्वपूर्ण तथ्यों के विपरीत पूर्ण विरोधाभासी कथन करते हुये परिवादिया जिरह में साररूप में इस तथ्य की स्वीकृति करती है कि उसके पिता ससुराल में मिलने व कोटा कभी नहीं गये और कोटा से जयपुर तक परिवादिया को उसका पति/अभियुक्त छोड़ने आया था और जयपुर से परिवादिया का मामा परिवादिया को फतेहपुर लेकर आया था, अर्थात् परिवादिया अपने परिवाद के उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वयं अपनी जिरह से खण्डित कर देती है।

16– परिवादिया का अपने परिवाद प्रदर्श पी 1 में यह उल्लेख रहा है कि परिवाद पेश करने के 15–20 दिन पूर्व अभियुक्त व उसके माता पिता फतेहपुर आये थे और वहां पर 80 हजार रूपये नकद व स्कूटी की माँग उन्होंने की थी। इन तथ्यों के

सम्बन्ध में परिवादिया पी.डब्ल्यू 1 सदफ की जिरह का अवलोकन करें तो परिवादिया जिरह में इन तथ्यों को सही होना स्वीकार करती है कि अभियुक्त व उसके माता पिता ने परिवादिया के घर आकर 80 हजार रूपये नकद व स्कूटी की माँग नहीं की थी। इस प्रकार परिवाद के दहेज की मांग के इन उपरोक्त कथनों को भी परिवादिया अपनी जिरह में खण्डित कर देती है।

17– यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण रहेगा कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया के विरूद्ध दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना का प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जिसके निर्णय प्रदर्श डी 2 द्वारा अभियुक्त का यह आवेदन स्वीकार कर परिवादिया को दाम्पत्य सम्बन्धों के निर्वाह का आदेश दिया गया है और न्यायालय में जिरह के दौरान परिवादिया पी.डब्ल्यू 1 ने यह कथन किये हैं कि वह अभियुक्त के साथ रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभियुक्त पर उसे भरोसा नहीं है। इन कथनों से यही तथ्य अधिसम्भाव्य रूप से प्रकट होता है कि परिवादिया व अभियुक्त के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों में आपसी अविश्वास के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है और इस विवाद का कारण अभियुक्त द्वारा दहेज की माँग किया जाना नहीं रहा है।

18– ऐसी दशा में उपर्युक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता में जरिये राजीनामा एवं धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

19– अतः प्रकरण के अभियुक्त इरफान पुत्र हैदर अली उम्र 38 वर्ष निवासी फातिमा हाउस, विवेकानन्द स्कूल के पीछे, छावनी थाना गुमानपुरा, कोटा, जिला कोटा (राज०) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में जरिये राजीनामा तथा आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20– अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

21– अभियुक्त को धारा 437 क द.प्र.सं. की पालनार्थ छः माह के लिए 10,000 रूपए के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये जाते है।

(अजय कुमार पूनिया)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)।

22– निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(अजय कुमार पूनिया)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)।